पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

(1)

Ajit K.Shrivastava
I.F.S.
Chief Conservator of Forest
Hoshangabad Circle M.P.

E-Mail: cfhoshangabad@[illegible]
(07574)-25[illegible]
(07574)-[illegible]
(07574)-[illegible]
Opposite: N.M.V.College Hoshan[illegible]
Pin [illegible]

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक होशंगाबाद वृत्त [illegible]
☎ (07574) 252521 🖷 (07574) 252303 E-Mail- cfhoshangabad@[illegible]

पत्र कमांक /संरक्षण / 1
होशंगाबाद दिनांक 13/1/2015

आदरणीय श्री. [illegible] श्रीवास्तव [illegible]

विषयः– वन सुरक्षा का सुदढीकरण ।

सन्दर्भः– आपका अर्ध शासकीय पत्र कमांक 6464 दिनांक 31.12.2014 .

–::00::–

निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र में लेखअनुसार वन सुरक्षा हेतु निम्नानुसार [illegible] प्रेषित है :–

1– वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहनों के सम्बन्ध में दो स्थितियां उत्पन्न होती है [illegible]

अ– राजसात की प्रकिया के दौरान अपराधियों द्वारा वाहन का मूल्य [illegible] की सहमति दी जाती है, तब प्राधिकृत अधिकारी को वाहन का [illegible] निर्धारित करना होता है ।

ब– अन्तिम रूप से राजसात वाहन को निविदा द्वारा [illegible] निर्वर्तन करने की स्थिति में भी वाहन का मूल्य निर्धारित करना [illegible]

[illegible] 10/1/2015

उपरोक्त दोनों स्थितियां भिन्न है । मध्यप्रदेश शासन वन [illegible] 1992 के परिपत्र में उन वाहनों के सम्बन्ध में दर निर्धारण हेतु प्रकिया [illegible] है , जिन वाहनों को राजसात कर दिया गया हो एवं जिनका निर्वर्तन [illegible] किन्तु उन वाहनों के सम्बन्ध में जिनमें कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा [illegible] लेकर मुक्त किया जाना हो, के सम्बन्ध में कोई परिपत्र दृष्टिगत नहीं [illegible] उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे ।

राजसात के प्रकरणों में वाहन के जप्त होने पर परिक्षेत्र [illegible] न्यायालय को सूचना दी जाती है ,तब वाहन का मूल्य उल्लेख किया [illegible] कई प्रकरणों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उक्त मूल्य स्वविवेक [illegible]

पृ.क्रं.-

पिछला	अगला

②

लेख कर दिया जाता है एवं जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता है । वाहन का मूल्य तत्समय के बीमा आदि से निर्धारित किया जाना चाहिए. किन्तु कई प्रकरणों में उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं होते है तब मूल्य निर्धारण करना कठिन होता है । अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी करने पर विचार करने का कष्ट करेंगे एवं यदि निर्देश पूर्व से उपलब्ध हो तब इस कार्यालय को प्रदान करने का कष्ट करेगे । कृपया विचार कर दोनों स्थितियों हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने का कष्ट करेगे ।

2— यह कि वन सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्रों के अन्तर्गत रहने वाले वन अमले को विद्युत सतत प्रदाय न होने फलस्वरूप अंधेरे में कार्य करने से कठिनाई उत्पन्न होती है एवं कई स्थितियों में उनके जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पडता है । उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रत्येक वनअमले के आवास में सोलर लाईट से बिजली प्रदाय हेतु विचार करने का कष्ट करेगे एवं प्रथमदृष्टया होशंगाबाद वृत्त के दोनों क्षेत्रीय वन मण्डलों—होशंगाबाद एवं हरदा हेतु 100—100 सोलर लाईट लघु उद्योग निगम से क्रय करने हेतु कमशः राशि रूपये 32-लॉख (3 20 लाख) आवंटित करने की कृपा करेगे ।उक्त व्यवस्था राज्य के लिये लागू करने से वन विभाग की एक नई दिशा प्राप्त होगी । पूर्व में विभाग द्वारा समस्त परिक्षेत्रों एवं डिपो आदि में बडी सोलर लाईट स्थापित की गई थी ।

3-- वन कर्मियों को वन अपराध अपराध पकड़ने के तहत् छोटे—छोटे पुरूस्कार प्रोत्साहन की योजना चालू करने पर विचार होना चाहिए कि वन मण्डलाधिकारी स्तर से ही तत्काल पुरूस्कार दे सके, जिस प्रकार पुलिस विभाग में त्वरित पुरूस्कार देने अथवा वेतन वृद्धि दिये जाने की व्यवस्था है ।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का कष्ट करेगे ।

आदर सहित

भवदीय,

(अजीत क्रे. श्रीवास्तव)

प्रति,

श्री रवि श्रीवास्तव (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल